भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1768
बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

पैक्स स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर

1768 # श्री आदित्य प्रसादः
डा. दिनेश शर्माः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पैक्स स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए कोई पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार के इस कदम से आम नागरिकों और किसानों को क्या लाभ होगा; और
(घ) इससे सहकारी आंदोलन को सशक्त करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को पंचायत/ग्राम स्तर पर जीवंत आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करने और उनके व्यावसयिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, नाबार्ड, राष्ट्रीय स्तर के संघो, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, इत्यादि के परामर्श से आदर्श उपविधियां तैयार की गई हैं। आदर्श उपविधियों को दिनांक 5 जनवरी, 2023 को सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को संबंधित राज्य के सहकारी अधिनियमों के अनुरूप यथोचित बदलाव कर पैक्स द्वारा अपनाने के लिए परिचालित किया गया ।

आदर्श उपविधियां पैक्स को कस्टम हायरिंग केंद्र, डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना; खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों का प्रापण, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीज़ल डिस्ट्रिब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीघ्रकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, कॉमन सेवा केंद्र, इत्यादि सहित 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करती हैं ।

आदर्श उपविधियों के अंगीकरण से बहुउद्देशीय पैक्स अब कस्टम हायरिंग सेवाएं जैसे कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर, टिलर, आदि प्रदान कर सकेंगे । बहुउद्देशीय पैक्स में ये कस्टम हाइरिंग केद्र किसान सदस्यों को आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करते हैं जिससे उनकी कृषि उपज और आय में वृद्धि होती है ।

आदर्श उपविधियों के अंगीकरण से पैक्स अब करोड़ों किसान सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसेवा केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान कर सकेंगे और अपने प्रचालन दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार कर सकेंगे तथा अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण एवं विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं, आदि प्रदान कर सकेंगे । ये पैक्स को आर्थिक कार्यकलापों में विविधता लाने और किसानों के लिए आय के अतिरिक्त और संवहनीय स्रोत सृजित करने में सक्षम करते हैं।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय पैक्स के अधीन विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना को पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वित कर रहा है । यह परियोजना भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM) के अभिसरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM) योजना के अधीन कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है । अब किसानों को पैक्स में अन्न भण्डारण, कस्टम हायरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं।

ये पहलें सहकारी आंदोलन को सशक्त करने में भी सहायक हैं क्योंकि इन पैक्स को देशभर के किसान सदस्यों को अपनी उपज के विपणन और बेहतर मूल्य प्राप्त करने, पंचायत/ग्राम स्तर पर ही ऋण और अन्य सेवाएं प्राप्त करने, उनके आय के अनेक और संवहनीय स्रोत सृजित करने हेतु अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करने में सक्षम करती हैं ।

*****